

1. पैरा 3042 के शीर्षक "रिकार्ड के परिरक्षण की अवधि" के पूर्व "क" को जोड़ें तथा शीर्षक "पुराने दुर्घटना केस के रिकार्ड नीचे लिखे समय तक अनुरक्षित किये जायेंगे" के पूर्व "ख" को जोड़ें एवं अनुच्छेद 3042 के बाद अंकित नोट को नोट संख्या (1) के रूप में पढ़ें तथा निम्नलिखित को नोट(2) को रूप में जोड़ें:-

नोट-(2): तथापि, उन स्टेशनों के ट्रेन सिगनल रजिस्टर, स्टेशन डायरी तथा स्टेशन मेमो पुस्तिकायें जहाँ असामान्य घटनायें सूचित होंगी ऐसी अन्तिम प्रविष्टि के पश्चात तीन वर्षों तक संरक्षित की जायेंगी ।

2. अध्याय XXIV को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें-

24001: उद्देश्य :-

- (क) सामान्य और सहायक नियम सम्पूर्ण रेल पर सामान्य रूप से लागू होते हैं तथा बाध्यकारी होते हैं। स्टेशन संचालन नियमावली में स्टेशन के ले-आउट, सिगनल, अन्तर्पाशन आदि से सम्बन्धित विशेष बातों का उल्लेख होता है तथा सामान्य और सहायक नियमों और आयुक्त रेल संरक्षा द्वारा अनुमोदित विशेष अनुदेश एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विशेष अनुदेशों के अनुसार स्टेशन पर गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान के लिये विशिष्ट एवं विस्तृत प्रक्रियाओं का विवरण दिया जाता है।
- (ख) स्टेशन संचालन नियमवालों के साधारण और सहायक नियमों तथा प्रशासन द्वारा नियमावलियों या अन्य रूप में जारी अन्य अनुदेशों के साथ पढ़ा जाना चाहिये और ये कर्मचारियों पर विधितः मान्य होंगे।
- (ग) 'डी' श्रेणी के स्टेशन को छोड़कर प्रत्येक स्टेशन पर नियम आरेख (रूल डायग्राम) सहित स्टेशन संचालन नियमावली अवश्य होनी चाहिए।

24002: रेल संरक्षा आयुक्त का अनुमोदन:-

- (क) निम्नलिखित कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें प्रारम्भ करने और चालू करने के लिये मुख्य संरक्षा आयुक्त का अनुमोदन अपेक्षित है-
 - (i) रनिंग लाइनों में वृद्धि, विस्तार या संशोधन।
 - (ii) रनिंग लाइनों के प्वाइन्ट्स और क्रासिंग में संशोधन।
 - (iii) नई सिगनलिंग और अन्तर्पाशन स्थापनायें या वर्तमान स्थापनाओं में संशोधन।
 - (iv) नये स्टेशन-स्थायी या अस्थायी।
 - (v) नये पुल या वर्तमान पुल का विस्तार, गर्डरों का विस्तार, वृद्धि या वर्तमान का बदलाव अस्थायी गर्डरों सहित।
 - (vi) रनिंग लाइनों का भारी उन्नयन/उच्चीकरण करना।
 - (vii) रनिंग लाइनों में नये समपारों का प्रावधान।
 - (viii) अस्थायी घुमाव (डाइवर्जन)
 - (ix) विद्युत परिपथ के लिये बिछाये गये सरलीकृत रेल परिपथ की विद्युत स्थापनाओं में वृद्धि या संशोधन।
- (ख) यदि स्टेशन संचालन नियम किसी नये स्टेशन के खुलने के आधार पर बनाये जा रहे हैं या उपर्युक्त पैरा (क) में दर्शाई सूची के अनुसार संशोधित किये जा रहे हैं तो इसके लिये रेल संरक्षा आयुक्त का पूर्व /अग्रिम अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (ग) मण्डल रेल प्रबन्धक किसी नये स्टेशन के प्रस्तावित स्टेशन संचालन नियम सहित रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ को स्टेशन खोलने के प्रस्तावित तिथि से कम से कम एक माह अग्रिम निम्नलिखित कागजात सौंपेंगे :

- (i) सारणीबद्ध विवरण,
 - (ii) इन्डेक्स प्लान तथा रेलवे का खण्ड,
 - (iii) कार्यों के आरेख(ड्राइन्ग),
 - (iv) प्रश्नों एवं उत्तरों की सूची,
 - (v) प्रमाण पत्र,
 - (vi) न्यूनतम और अधिकतम आयामों(डाइमेन्शन) के उल्लंघन की सूची और
 - (vii) प्रस्तावित परीक्षण गाड़ी का आरेख(स्टेशन से गुजारी जाने वाली पहली गाड़ी)
- (घ) रेल संरक्षा आयुक्त अपने विवेकानुसार कार्य के पूरा होने पर उसका निरीक्षण प्रस्तावित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। रेल संरक्षा आयुक्त यदि स्टेशन खुलने के पहले कार्य के निरीक्षण का निश्चय नहीं करते हैं तो "संरक्षा प्रमाणपत्र" पूरा कर एवं हस्ताक्षरित कर स्टेशन खोलने के पूर्व जमा कर दिया जाना चाहिये अज्ञैर सिविल, सिगनल एवं दूरसेचार, विद्युत या प्रभारी यांत्रिक इंजीनियर द्वारा(परिस्थिति के अनुसार) संयुक्त रूप से एक टेलीग्राम रेल संरक्षा आयुक्तए मु.परि.प्र, मु.इं., मु.सि.दू.ई., मु.या.ई., म. रे.प्र., संबंधित मण्डल अधिकारी, कन्ट्रोल और संबंधित स्टेशन को भेज दिया जाना चाहिये।

24003: (1)– स्टेशन संचालन नियमावलियों को तैयार/संशोधित करने के सामान्य सिद्धान्त :-

- (क) स्टेशन संचालन नियम यथासंभव संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिये।
- (ख) लागू होने वाले साधारण एवं सहायक नियमों की संख्या का उल्लेख करना चाहिये, यह आवश्यक नहीं है कि किसी नियम का पूरा सार प्रस्तुत किया जाये।
- (ग) उन स्टेशनों पर जहां केबिन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं प्रत्येक केबिन के लिए स्वयं में पूर्ण, पृथक नियम जारी किये जाने चाहिये। ऐसा कोई कर्मचारी जो किसी ऐसे केबिन पर कार्य करने के लिए आता है उसे केवल उस केबिन पर कार्य करने के लिए नियमों को पढ़ना चाहिये और आश्वासन पर हस्ताक्षर करने चाहिये। अतः स्टेशन संचालन नियम की एक प्रति या प्रासांगिक सार उन केबिनों पर और संबंधित समपार पर रखी जानी चाहिये जो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं।
- (घ) सभी स्टेशन संचालन नियमों को तैयार करने में श्रेणी और आकार से इतर एक ही क्रम को रखना चाहिये।
- (ङ) स्टेशन संचालन नियम का मुख्य ढाँचा वमंपरिप्र/मंपरिप्र और वमंसिदूई/मंसिदूई द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। परिशिष्ट 'घ' केवल वमंपरिप्र/मंपरिप्र द्वारा तथा परिशिष्ट 'ख' केवल वमंसिदूई/मंसिदूई द्वारा हस्ताक्षर की जानी चाहिये।
- (च) स्टेशन संचालन नियम और यार्ड आरेखों (डायग्रामों) की प्रतियां महाप्रबन्धक (परिचालन) और रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ दोनों को सूचनार्थ और अभिलेख के लिए भिजवा देनी चाहिये।
- (छ) प्रत्येक पाँच वर्षों के पश्चात अथवा पाँच शुद्धि पर्चियों के जारी करने के बाद नया स्टेशन संचालन नियम जारी किया जाना चाहिये तथा उनकी समीक्षा आवश्यकतानुसार की जानी चाहिये। स्टेशन संचालन नियम में जारी की गई किसी मास्टर पर्ची/पर्चियों को उन पाँच संशोधनों में शामिल नहीं करना चाहिये और यह उनके अतिरिक्त होंगी।
- (ज) सामान्यतया स्टेशन संचालन नियमावली में केवल तीन शुद्धि पर्चियाँ जारी की जानी चाहिये फिर भी यदि तीन से अधिक शुद्धि पर्ची जारी करने की आवश्यकता समझी जाये तो मण्डल को पहले इसके लिये मुख्यालय से अनुमति लेनी होगी। मुख्यालय द्वारा केवल दो और शुद्धि पर्ची जारी करने की अनुमति दी जायेगी ताकि स्टेशन संचालन नियमावली में शुद्धि पर्चियों की कुल संख्या पाँच से अधिक न हो। इससे अधिक शुद्धि पर्ची जारी करने की स्थिति में नया स्टेशन संचालन नियमावली बनाना होगा।

- (झ) स्टेशन संचालन नियमावली में सबसे बाहरी रोक सिगनलों के मध्य स्थित सभी यातायात समपार फाटकों तथा उन इंजीनियरिंग समपार फाटकों, जो सबसे बाहरी रोक सिगनलों के बाहर स्थित हैं किन्तु टेलिफोन संचार की सुविधा उपलब्ध है, के संबंध में विशेष अनुरोध सम्मिलित किये जाने चाहिये। नान-इन्टरलाकड यातायात समपार फाटकों की कार्य प्रणाली परिचालन विभाग तथा नान-इन्टरलाकड इंजीनियरिंग समपार फाटकों की कार्य प्रणाली इंजीनियरिंग विभाग तैयार की जायेंगी। सभी इन्टरलाकड समपार फाटकों (इंजीनियरिंग तथा यातायात दोनों) की कार्य प्रणाली सिगनल विभाग तैयार की जायेंगी। प्रारूप(ड्राफ्ट) वमंपरिप्र/मंपरिप्र को अनुमोदन एवं स्टेशन विशेष के स्टेशन संचालन नियमावली में समाहित करने के लिये प्रस्तुत किया जाना चाहिये। स्टेशन तथा समपार फाटक के मध्य संचार की विफलता के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई विशेष रूप से इन नियमों/अनुदेशों में किया जाना चाहिये। इन नियमों की एक प्रति या उनके प्रासंगिक सार गेट लाज पर रखे जाने चाहिये।
- (ञ) स्टेशन संचालन नियमावलियाँ कार्यात्मक नियम हैं जो स्टेशनों की कार्यप्रणाली को शासित करती हैं। इन्हे पूरी सावधानी से ध्यानपूर्वक तैयार किया जाना चाहिये क्योंकि इन नियमों में किसी प्रकार की कमी संरक्षा को खतरे में डाल सकती है, ऐसी स्थिति में संरक्षा नियमों के उल्लंघन हेतु अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ स्टेशन संचालन नियमावली को हस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी भी उत्तरदायी होंगे।
- (ट) नियमारेख के विशुद्धता की पुष्टि हेतु नियमारेख का स्थल पर वास्तविक स्थिति से मिलान किया जाना बाध्यकारी है। स्टेशन संचालन नियमावली को हस्ताक्षरित करने वाले अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि न करने की स्थिति में यातायात निरीक्षक तथा सेक्शन इंजीनियर/सिगनल स्थल का संयुक्त निरीक्षण करने के बाद लिखित में प्रमाणित करेंगे कि वास्तविक ले-आउट नियमारेख (रूल डायग्राम) के अनुसार है तथा उसमें दर्शाये गये कॉटों एवं सिगनलों की संख्या सही है।

(2)– स्टेशन संचालन नियमावली बनाने की प्रक्रिया:–

- (i) नियमारेख तथा सिगनलिंग परिशिष्ट (अर्न्तपाशित स्टेशनों के लिए) तथा पुल शीट (अर्न्तपाशित तथा ऐसे गैर अर्न्तपाशित स्टेशनों के लिए जहाँ लीवर जमीन पर लगाये गये हैं) वमंसिदूर्ई/मंसिदूर्ई द्वारा वमंपरिप्र/मंपरिप्र को उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि वह स्टेशन संचालन नियमावली बनाने का कार्य प्रारम्भ कर सकें।
- (ii) चूंकि स्टेशन संचालन नियमावली तैयार करने में नियमारेख की भूमिका अति महत्वपूर्ण है अतः वमंपरिप्र/मंपरिप्र द्वारा नियमारेख एवं सिगनल परिशिष्ट, यदि कोई हो, का सूक्ष्म जाँच किया जायेगा एवं स्थल परीक्षण कराया जायेगा।
- (iii) वमंसिदूर्ई/मंसिदूर्ई से नियम आरेख प्राप्त होने के पश्चात वमंपरिप्र/मंपरिप्र यातायात निरीक्षक द्वारा मानक प्रारूप (स्टैण्डर्ड फार्मेट) पर स्टेशन संचालन नियमावली तैयार करने की व्यवस्था करेंगे जिसके पश्चात सहायक परिचालन प्रबन्धक/सामान्य अथवा सहायक परिचालन प्रबन्धक/संचालन द्वारा इसकी जाँच की जायेगी। इसके बाद वमंपरिप्र/मंपरिप्र द्वारा इसका व्यक्तिगत रूप से सूक्ष्म जाँच किया जायेगा तथा सही पाये जाने पर हस्ताक्षरित कर वमंसिदूर्ई/मंसिदूर्ई को हस्ताक्षर हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। विद्युतीकृत खंडों में वमंसिदूर्ई/मंसिदूर्ई (टी.आर.डी.) को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये।
- (iv) वमंसिदूर्ई/मंसिदूर्ई स्टेशन संचालन नियमाली की जांच करके तथा सभी प्रतियों पर हस्ताक्षर करके सम्बन्धित वमंपरिप्र/मंपरिप्र को लौटा देंगे।

पूर्वोत्तर रेलवे
परिचालन नियमावली (2007 संस्करण)
शुद्धि पत्र संख्या 01 दिनांक 29.09.2015
(03 मदों में)

- (v) यदि स्टेशन संचालन नियमावली में कोई संशोधन करने की आवश्यकता हो तो शुद्धि पत्र जारी की जायेगी। जब कभी स्टेशन संचालन नियमावली में किसी संशोधन/परिवर्तन को समाहित

20004—स्टेशन के स्टेशन संचालन नियमावली का मानक प्रारूप :

स्टेशनों की स्टेशन संचालन नियमावली निम्नलिखित मानक प्रारूप के अनुसार तैयार की जानी चाहिये:—

.....रेलवे
सं०..... मण्डल
.....(स्टेशन का नाम) की स्टेशन संचालन नियमावली
.....(ब.ला./मी.ला./छो.ला.)
जारी करने की तिथि.....
लागू होने की तिथि.....

टिप्पणी:

- (i) स्टेशन संचालन नियम(एस.डब्ल्यू.आर.) निश्चित रूप से सामान्य एवं सहायक नियमों तथा ब्लाक संचालन नियमावली के सहयोजन से पढ़े जाने चाहिये। ये नियम किसी भी प्रकार से उक्त पुस्तकों के किसी भी नियम का अतिक्रमण नहीं करते। एस.डब्ल्यू.आर. की भाषा सरल, स्पष्ट, सारग्रीही तथा नियमों के उपबन्ध संबन्धित स्टेशन की विशिष्ट दशाओं पर लागू होने वाली होनी चाहिये। ये नियम निश्चित रूप से साधारण भाषा में होने चाहिये, ताकि साधारण रेलकर्मी भी इन्हें समझ सकें। बहरहाल, संबन्धित साधारण नियम/सहायक नियम नियम संख्याओं का कोष्ठक में उल्लेख किया जा सकता है।
- (ii) एस.डब्ल्यू.आर. के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या तथा स्टेशन नाम कूट अंकित किये जाने चाहिये और अन्तर्पाशित स्टेशनों के लिये इस पर मण्डल परिचालन प्रबन्धक तथा मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर द्वारा तथा गैर अन्तर्पाशित स्टेशनों के लिये इस पर मण्डल परिचालन प्रबन्धक तथा मण्डल इंजीनियर द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।
- (iii) एस.डब्ल्यू.आर. प्रत्येक प्रत्येक पाँच बाद अथवा पाँच शुद्धि पत्रियाँ जारी होने पर नये सिरों से जारी किये जाने चाहिये तथा जब भी आवश्यकता हो इनकी समीक्षा की जानी चाहिये।
- (iv) गाड़ियों के परिचालन को सुविधाजनक बनाने के लिये किये गये किसी भी नये परिवर्तन को एस.डब्ल्यू.आर. में अन्तर्विनिष्ट किया जाना चाहिये।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख:

सी.एस.टी.ई./.....रेलवे और सिगनल अन्तर्पाशन योजना सं.पर आधारित एस.डब्ल्यू.आर. आरेख संख्या.....में गैर अन्तर्पाशित साइडिंगों सहित प्रत्येक लाइन की मीटरों में सही एवं वास्तविक वहन क्षमता, सिगनलों(निर्धारित प्वाइंट) के बीच की वास्तविक दूरी, समीपवर्ती स्टेशनों के नाम तथा स्टेशन के किसी भी ओर लगाये गये आई.बी.एच. सिगनल, जहाँ कहीं लगाये गये हों और स्टेशन भवन की सेन्टर लाइन से समीप के स्टेशन की सेन्टर लाइन तक उनकी दूरी तथा गाड़ियों के दिन प्रतिदिन के परिचालन के लिये आवश्यक अन्य कोई आवश्यक सूचना सहित यार्ड की ,कांटों, सिगनलों, ढालों तथा स्टेशन की अन्तर्पाशन व्यवस्था का पूर्ण ले-आउट दर्शाया जाना चाहिये। उन तारीख के विवरण, जिस तारीख तक इन्हें सही किया गया है, का उल्लेख भी किया जाना चाहिये। एस.डब्ल्यू.आर. आरेख में वास्तविक दूरी दर्शाई जानी चाहिये न कि न्यूनतम निर्धारित दूरी। इस पर मण्डल परिचालन प्रबन्धक, मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर तथा मण्डल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये। डिटेक्शन टेबल, लीवर कालर चार्ट तथा पुल शीट परिशिष्ट 'ख' में मुहैया कराये जायें। पुल शीट केबिन में लीवर फ्रेम के ऊपर लगाये जाने वाले चमकीले पेंट वाले बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिये।

2. स्टेशन का विवरण

2.1 (स्टेशन का नाम) मार्ग पर

रेलवे के दोहरी/इकहरी लाइन विद्युतीकृत/गैर विद्युतीकृत (ब.ला./मी.ला./छोटी लाइन).....(खंड का नाम) पर
श्रेणी का स्टेशन है, वह(रेलवे पर एक नामित स्थल) से .
.....कि.मी. पर स्थित है, केबिनो की संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए,

2.2 ब्लॉक स्टेशन, किसी भी ओर आई.वी.एच. आई.बी.एम. तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगे

.....स्टेशन (एक ओर के समीपवर्ती स्टेशन का नाम) के(उत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम) मेंकि.मी. दूरी पर तथा

.....(दूसरी ओर के समीपवर्ती स्टेशन का नाम) के
.....(दूसरी ओर के समीपवर्ती स्टेशन का नाम) मेंकि.मी. दूरी के बीच स्थित है,

यदि समीप के खण्ड पर आइबीएम सिगनल लगाया गया है, तो उसका उल्लेख निम्नानुसार किया जाना चाहिए:(उस खण्ड का नाम जिस पर आई.बी.एम. लगाया गया है) के बीच के खण्ड को क्रमशःकिमी और ...
.....किमी अप और डाउन लाइन, जिनका नियंत्रण ट्रैक सर्किट/इलेक्ट्रानिक एक्सल काउन्टर तथा दोहरी लाइन ब्लॉक उपकरण द्वारा किया जाता है, पर ट्रैक सर्किट/एक्सल काउन्टर और मध्यवर्ती ब्लॉक रोक (स्टॉप) सिगनल लगाकर दो ब्लॉक खण्डों में विभाजित कर दिया गया है।

यदि समीप के खण्ड पर आटोमैटिक सिगनल लगाए गये हैं तो इसका उल्लेख आवश्यक रूप से एस.डब्ल्यू.आर. में किया जाना चाहिए,

बाहरी साइडिंगो/डी के स्टेशन के खंड से शुरू होने के मामले में इनका नाम और अप/डाउन दिशा में कि.मी. का उल्लेख किया जाना चाहिए। इनके विद्युत संचालन अनुदेश परिशिष्ट "च" में दिये जाने चाहिए।

2.3 विभिन्न दिशाओं में स्टेशन के किसी भी ओर ब्लॉक खंड सीमा

वह स्थान जहाँ पिछला ब्लॉक खण्ड समाप्त होता है ओर वह स्थान जहाँ से अगला ब्लॉक खण्ड शुरू होता है, को निम्नलिखित तालिका में दर्शाना जाना चाहिए।

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहाँ से ब्लॉक खण्ड शुरू होता है।	वह स्थान जहाँ 'ब्लॉक खण्ड समाप्त होता है।
-----------------	---	---

2.4 ढलान, यदि कोई हो

वार्ड में और समीप के ब्लॉक खण्डों में स्थित ढलान का उसकी लोकेशन सहित उल्लेख किया जाना चाहिए, ऐसी ढलान जो गाड़ी परिचालन में विशेष एहतियात बरते जाने की आवश्यकता से संबंधित है, का उल्लेख किया जाना चाहिए।

2.5 ले-आउट

इस शीर्ष के अन्तर्गत, मेन यार्ड में चालू लाइनो की संख्या (अर्थात् अप लूप, अप मेन, डाउन मेन और कामन लूप आदि) माल शेड/साइडिंग, हॉट एक्सल साइडिंग, पासिंग साइडिंग, इंजीनियरी साइडिंग, यार्ड से निकलने वाली साइडिंग तथा वे विद्युतीकृत है या गैर विद्युतीकृत है आदि का विवरण और उन्हे चालू लाइनों से किस प्रकार पृथक किया गया है, से संबंधित सूचना का उल्लेख किया जाना चाहिए, चालू लाइनों/माल साइडिंगो पर नीचे सतह/ऊंचे सतह प्लेटफार्मों की व्यवस्था से सम्बंधित सूचना दी जानी चाहिये।

2.5.1 चालू लाइनों, संचलन की दिशा और सी.एस.आर. में वहन क्षमता

सभी लाइनों पर संचलन की दिशा और चालू लाइनों के क्लीयर स्टैंडिंग रूम का उल्लेख मीटर में किया जाना आवश्यक है।

2.5.2 गैर चालू लाइने और सी.एस.आर. में उनकी क्षमता

2.5.3 ले-आउट की कोई मुख्य विशेषता

यार्ड की कोई मुख्य विशेषता जैसे कि कैच साइडिंग/स्लिप साइडिंग, गैर-मानक टर्न-आउट, कर्व (घुमाव) स्प्रिंग प्वाइंट आदि, जिनका गाड़ियों के परिचालन पर असर पड़ सकता है, का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

2.6 समपार

समपार फाटक संख्या, स्थान, श्रेणी, सामान्य स्थिति, क्या अंतर्पाशित है या नहीं, क्या संचार व्यवस्था उपलब्ध कराई गयी है या नहीं तथा क्या गाड़ी चालित चेतावनी (टी.ए. डब्लू.डी) उपलब्ध कराई गयी है अथवा नहीं, फाटक का परिचालन किस प्रकार किया जाता है आदि सहित फाटक की विस्तृत कार्यप्रणाली का उल्लेख परिशिष्ट 'क' में किया जाना आवश्यक है।

3.0 संचालन की प्रणाली और साधन

प्राचलित संचालन प्रणाली – दोहरी लाइन, टोकन/टोकन रहित ब्लॉक उपकरण का उपयोग करते हुए पूर्ण/स्वचालित, चाहे सहाकारी हो या असहकारी, उसके परिचान के लिए उत्तरदायी कर्मचारी और चाबियों की परिरक्षा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, स्टेशन पर ब्लॉक टेलीफोन उपलब्ध कराए जाने और किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर लोको पायलट और स्टेशन मास्टर के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए आई.बी.एस. पोस्ट पर उपलब्ध कराये गये टेलीफोन का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

4.0 सिगनल और अंतर्पाशन की प्रणाली

4.1 अंतर्पाशन के मानक, सिगनल के प्रकार (एम.एल.क्यू/टी.ए.एल.क्यू) /एम.ए.यू.क्यू/एम. ए.सी.एल.एस) लीवर फ्रेम/नियंत्रण पैनल/वी.डी.यू./सी.टी.सी. से सिगनलों/कांटो की परिचालन विधि, चालू लाइनो पर एक्सल काउंटर/ट्रैक सर्किट की व्यवस्था, कॉलिंग आन सिगलन/आई.बी.एस., फिक्सड वार्नर, टर्मिनल स्टेशनों पर स्टॉप बोर्ड, आपात कास-ओवर, स्थायी रूप से लॉक किये गये कांटे, यांत्रिक रूप से संचालित स्टेशनों पर

मोटर द्वारा परिचालित कांटे, आपात/क्रेक हैण्डल चाबियां और उनकी परिष्का, कांटे/ट्रैप कांटे/सिगलन/एक्सल काउन्टर/ट्रैक सर्किट के संकेत (इलेक्ट्रिक/वैनर किस्म के) जैसी विशिष्ट सिगनल विशेषताओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। कांटे/सिगनल/गेट कंट्रोल स्विचो का उपयोग करते हुए रूट सेटिंग के लिए लीवर फ्रेम/नियंत्रण पैनल/वीडियो डिसप्ले यूनिट, कांटो का पृथक परिचालन, स्टेशन सीमाओं के भीतर गेटों का परिचालन, क्रैंक हैंडिल का उपयोग करते हुए कांटो की सेटिंग के विस्तृत ब्योरे और पैनल पर दिये गये आपात परिचालन काउन्टरो के उचित रिकार्ड रखने के बारे में उल्लेख किया जाना आवश्यक है। स्टेशनों पर लगाए गये गाड़ी बचाव और चेतावनी प्रणाली (टी.पी.डब्ल्यू.एस.) तथा टक्कर रोधी उपकरण (ए.सी.डी.) की संचालन पद्धति का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। बर्थिक पोर्शन और आई.बी.एस. सेक्शन पर एक्सल काउन्टर की खराबी के मामले में प्रणाली रीसेटिंग, कांटो का आपात परिचालन, आपात मार्ग रद्दीकरण, ब्लॉक की क्लियरिंग, आदि का भी परिचालनिक दृष्टि से उल्लेख किया जाना आवश्यक है। (बहरहाल, सिगनल और अंतर्पाशन का विवरण परिशिष्ट "ख" में तथा टक्कर रोधी उपकरण (ए.सी.डी.) यदि उपलब्ध कराये गये हो, का विवरण परिशिष्ट "ग" में दिया जाना चाहिए।)

- 4.2 रिले कक्ष की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगल एवं दूरसंचार के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हे लेने-देने की कार्यपद्धति।
- 4.3 पावर सप्लाई

सिगनल व्यवस्था के लिए डाउन ए.टी./अप ए.टी./स्थानीय सप्लाई (राज्य बिजली बोर्ड/डीजल जेनरेटर/यू.पी.एस./एकीकृत पावर सप्लाई आदि जैसे पावर सप्लाई स्रोतों) का यहां उल्लेख किया जाना चाहिए। इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि पावर सप्लाई के सामान्य स्रोत के खराब हो जाने पर पावर सप्लाई के एक स्रोत से दूसरे स्रोत में जो परिवर्तन किया जाएगा, वह परिवर्तन स्वचालित होगा या मैनअल। मैनअल परिवर्तन की कार्यविधि का वर्णन किया जाना चाहिए।

5. दूर संचार

स्टेशन पर उपलब्ध दूरसंचार सुविधाओं तथा उनके परिचालनिक पहलुओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

- (i) सेक्शन कन्ट्रोल/डिप्टी कन्ट्रोल/कर्षण (ट्रैक्शन) पावर कंट्रोल टेलीफोन आदि।
- (ii) ऑटो/डी.ओ.टी. टेलीफोन।
- (iii) केबिन/गेटों पर मैगनेटो टेलीफोन।
- (iv) किमी पर आई.बी.एस. का आई.बी.एस. टेलीफोन।
- (v) एक्सल काउन्टर रिसेट बाक्स का टेलीफोन।
- (vi) यार्ड में संचार हेतु टेलीफोन।
- (iv) बी.एच.एफ. सेट और
- (vii) सचल गाड़ी रेडियो संचार (एम.टी.आर.सी.)

उक्त संचार व्यवस्था में खराबी आ जाने पर की जाने वाली कार्रवाई का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। (कार्यप्रणाली का विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया जाए।)

6.0 गाड़ी संचालन की प्रणाली

- 6.1 गाड़ी संचालन कर्मचारियों के कर्तव्य—

गाड़ी संचालन कर्मचारियों जैसे स्टेशन मास्टर, स्विचमैन, केबिनमैन, लीवरमैन, प्वाइन्ट्समैन, प्लेटफार्म पोर्टर, गेटमैन के कर्तव्यों का रेलवे के सामान्य एवं सहायक नियमों तथा संचालन नियमावली का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए परिशिष्ट 'घ' में विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाना चाहिए।

6.1.1 प्रत्येक पारी में गाड़ी संचालन कर्मचारी

स्टेशन पर प्रत्येक पारी में तैनात परिचालन कर्मचारियों की उपलब्धता तथा गाड़ी संचालन के लिए उनके कर्तव्यों का परिशिष्ट 'घ' में उल्लेख किया जाना चाहिए।

6.1.2 ड्यूटी की क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र।

ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक कर्मचारी का लाइनों की क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्रों का यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि प्राइवेट नम्बर बुक गाड़ी पासिंग कर्मचारी के पास ही होनी चाहिए जो कि इसका उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है।

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारी का आश्वासन

प्रत्येक गाड़ी पासिंग कर्मचारी जिसकी स्टेशन पर नई तैनाती हुई है या स्टेशन पर छुट्टी एवंजी कर्मचारी या 15 दिन से अधिक की नियमित अनुपस्थिति के उपरान्त ड्यूटी पर उपस्थित होने वाले नियमित कर्मचारियों को प्रचलित स्टेशन संचालन नियमों को अवश्य पढ़ना चाहिए और निर्धारित आश्वासन पंजिका में अपना आश्वासन दर्ज कराना चाहिए।

6.2 लाइन क्लीयर देने के लिए शर्तें

इस शीर्ष के अन्तर्गत, स्टेशन पर लागू संचालन प्रणाली के सिद्धान्तों जिस रूप में वे स्टेशन पर लागू होते हो, का संक्षिप्त एवं स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाना चाहिए। रेल पथ के वे स्थान जहाँ तक लाइन को क्लीयर रखा जाना अपेक्षित है, विशेष रूप से दर्शाये जाने चाहिए। यदि इसमें बाहरी साइडिंग भी शामिल है, तो उनका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

6.2.1 गाड़ी के स्टेशन पर आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें

- 6.2.1.1. ब्लॉक लाइन के विरुद्ध प्वाइन्टों को अन्य लाइन के लिए सेट करना।
- 6.2.1.2. अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन।
- 6.2.1.3. बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन।
- 6.2.1.4. बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी प्रस्थान करना।
- 6.2.1.5. कामन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी प्रस्थान करना।
- 6.2.1.6. सामान्य एवं सहायक नियमों का संदर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना।

6.3 आगमन सिगनल को 'आफ' करने के लिए शर्तें

सामान्य एवं सहायक नियमों के सम्बन्धित उपबन्धों का उल्लेख करते हुए यहाँ इसका वर्णन किया जाना आवश्यक है।

6.3.1 सिगनल को पुनः 'आन' करने के लिए स्टेशन मास्टर का दायित्व

स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करें कि सामान्य नियम (जी.आर.) 3.36.2 (ख) के अनुसार गाड़ी के पास हो जाने के बाद सिगनल को पुनः 'आन' कर दिया जाय।

6.4 एक साथ दो गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान, गाड़ियों की क्रॉसिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना।

स्टेशन पर एक साथ दो गाड़ियों के आगमन, क्रॉसिंग और गाड़ियों को प्राथमिकता देते समय सैंडहंप / साइडिंग आदि में वांछित सिगनल, ओवरलैप/आइसोलेशन प्राप्त करने के उद्देश्य से कांटो और ट्रैप की विशिष्ट सेटिंग का उल्लेख किया जाना चाहिए।

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन

ब्लॉक खण्ड के बंद करने से पूर्व गाड़ियों के पूर्ण आगमन के सत्यापन का उत्तरदायित्व स्पष्ट किया जाना चाहिए, यदि खण्ड पर एक्सल काउन्टर (बी.पी.ए.सी.) लगाया गया है तो ब्लॉक प्रूविंग होने पर सामान्य एवं सहायक नियमों तथा ब्लॉक संचालन नियमावली के संबंधित उपबन्धों का उल्लेख करते हुए ब्लॉक संचालन कार्यविधि का वर्णन किया जाना चाहिए।

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान

चालू लाइनों, बिना सिगनल वाली लाइनों से गाड़ियों का प्रस्थान, सतर्कता आदेश जारी करने संबंधी ब्योरे आदि का सामान्य एवं सहायक नियमों तथा ब्लॉक संचालन नियमावली के उपबन्धों का उल्लेख करते हुए वर्णन किया जाना चाहिए। यदि आई.बी.एस. लगाया गया है तो आई.बी.एस. तक तथा उसके बाद अगले स्टेशन तक गाड़ियों के प्रस्थान की कार्यवृत्ति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

6.7 रन-थ्रू चलने वाली गाड़िया

सामान्य एवं सहायक नियमों में दिये गये उपबन्धों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

6.8 विफलता के दौरान कार्यपद्धति

ट्रैक सर्किट, कांटो, सिगनल, ब्लॉक उपकरणों, एक्सल काउन्टर, एक्सल काउन्टर ब्लॉक की विफलता के मामले में कार्यपद्धति, क्षतिग्रस्त कांटो पर कार्य करने की पद्धति, ट्राली या लाईट इंजन आदि द्वारा लाइन के व्यस्त होने का पता लगा पाने में विफलता सहित अवरुद्ध लाइनों, बिना सिगनल वाली लाइनों पर अवरुद्ध गाड़ियों के आगमन का यहाँ विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जाना चाहिए।

6.9 ट्रालियों/मोटर ट्रालियों/मैटेरियल (मैटेरियल) लारियों की कार्यप्रणाली के संबंध में उपबंध

नीचे दर्शायी गयी कुछ सावधानियों का उल्लेख किया जाना चाहिए :

- i) ऐसे खण्ड जहाँ पर ट्रैक सर्किट के बदले एक्सल काउन्टर लगाये गये हैं, ट्रालियों, मोटर ट्रालियों लारियों आदि जो इन्सुलेटिड (रोधी) नहीं हैं, वहाँ इन्हें लाइन क्लीयर होने पर ही आवागमन की अनुमति होगी।

- ii) मोटर ट्रालियों/टावर वैगन/सामग्री (मैटेरियल) लारियों से एक्सल काउन्टर का सही संचालन न होने की संभावना है, जब इन्हें एक्सल काउन्टर से पृथक कर खण्ड पर चलाया जाना होगा तो खण्ड को एक ही मानना होगा और पहली गाड़ी के पूरी तरह निकल जाने के बाद ही अगली गाड़ी को रवाना करना होगा।
- iii) अन्य सभी मामलों में लाइट मोटर ट्राली की कार्य प्रणाली ब्लॉक सुरक्षा के बिना चलायी जाने वाली या ब्लॉक सुरक्षा के तहत चलायी जाने वाली या अन्य लाइटों पर ट्राली या मोटर ट्राली के पीछे चलने वाली साधारण ट्राली के लिए निर्धारित नियमों के पूरी तरह अनुरूप होगी।
- iv) ट्रालियों/मोटर ट्रालियों/सामग्री ट्रालियों/टावर वैगनों आदि के संचालन पर कोई अन्य प्रतिबन्ध।

7.0 लाइन अवरुद्ध होना

जब लाइने स्थैतिक वाहनो या अन्य अनुरक्षण कारणो से अवरुद्ध हो, तो स्टेशन मास्टर द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों का विवरण यहाँ दिया जाना चाहिए।

8.0 शंटिंग

- 8.1 सामान्य सावधानियां
- 8.2 आती हुई गाड़ी के सम्मुख शंटिंग
- 8.3 शंटिंग पर प्रतिबंध, प्रमुख विशेषताएं, यदि कोई हो।
- 8.4 इकहरी लाइन पर शंटिंग—
स्टेशन खण्ड के भीतर
अंतिम रोक (स्टाप) सिगनल और सामने के प्रथम रोक सिगनल के बीच,
सामने के प्रथम रोक सिगनल के बाद
इकहरी लाइन पर ब्लॉक उकपरण के खराब होने के दौरान।
- 8.5 दोहरी लाइन पर शंटिंग —
ब्लॉक बैंक
ब्लॉक फारवर्ड
दूर जा रही गाड़ी के पीछे
आई.बी.एस. तक
आई.बी.एस. के बाद
दोहरी लाइन पर ब्लॉक उपकरण विफल होने के दौरान।

- 8.6 स्टेशन यार्ड/माल यार्ड से निकलने वाली साइडिंगो में शंटिंग।

9.0 असामान्य परिस्थितियां

(क) असामान्य परिस्थितियों में अनुपालन हेतु नियम
निम्नलिखित असामान्य परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली कार्यविधि का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

- (i) आंशिक अवरोध/विद्युत संचार उपकरणों की विफलता के दौरान।
- (ii) लाइन पर अवरोध या दुर्घटना आदि के मामले में अवरुद्ध ब्लॉक खण्ड में प्रस्थान प्राधिकार।
- (iii) ब्लॉक खण्ड में विलम्बित हुई गाड़ियां।
- (iv) मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल की 'आन' स्थिति में विफलता/पासिंग।

- (v) एक्सल काउन्टर ब्लॉक/बी.पी.ए.सी. की विफलता।
- (vi) एम.टी.आर.सी. में विफलता।

(ख) क्रैंक हैण्डल द्वारा कांटो के आकस्मिक परिचालन के लिए कार्यविधि।

- (i) परिचालनिक दृष्टि से स्टेशन पर विभिन्न लाइनों पर मोटर द्वारा परिचालित कांटो के आकस्मिक क्रैंक हैण्डल परिचालन की विस्तृत कार्यविधि का उल्लेख यहाँ किया जाना चाहिए।
- (ii) सामान्य नियम 3.39 और सामान्य नियम 3.37 का उल्लेख करते हुए प्वाइन्ट जोन एक्सलकाउन्टर/ट्रैक सर्किट खराबी और आपात स्थिति में मार्ग प्रदान करने सहित कांटो के आपातपरिचालन की कार्यविधि का उल्लेख यहाँ किया जाना चाहिए।

(ग) कॉलिंग आन सिगनल परिचालन से पूर्व रेलपथ के क्लीयरेंस का प्रमाण पत्र

यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि ट्रैक सर्किट/एक्सल काउन्टर के खराब होने पर कॉलिंग ऑन सिगनल ऑफ करने से पूर्व मार्ग तथा रेल पथ की क्लीयरेंस जिस पर गाड़ी को गुजरना होगा, का सत्यापन स्टेशन मास्टर द्वारा किया जायेगा।

(घ) कांटों, ट्रैक सर्किट/एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन की खराबी की रिपोर्ट करना:

- (i) यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि जहाँ कहीं भी स्टेशन पर कांटों, ट्रैक सर्किट /एक्सल काउन्टर या कोई अन्य अन्तर्पाशन गियर में खराबी पायी जाती है तो उसकी रिपोर्ट आन-ड्यूटी स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा सम्बन्धित आन ड्यूटी सिगनल अनुरक्षण कर्मचारी, जो कि इस खराबी का ठीक करने के लिए उत्तरदायी है, को रिपोर्ट की जाय तथा उस खराबी को ठीक करने के लिए सिगनल अनुरक्षक से लिखित मेमो प्राप्त होने पर ही स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा कार्य प्रणाली को पुनः सामान्य स्थिति में लाया जाय।
- (ii) खण्ड नियंत्रक को संदेश देने के साथ-साथ इस खराबी को विफलता (फेल्योर) में भी दर्ज किया जाय।

9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता

स्टेशन पर संचार के साधनों की पूर्ण विफलता के दौरान गाड़ियों के परिचालन से सम्बन्धित सहायक नियमों के उपबन्ध तथा ब्लॉक संचालन नियमावली में अन्तर्विष्ट अनुदेशों का सम्बन्धित सामान्य एवं सहायक नियमों के उपबन्धों का उल्लेख करते हुए, की जाने वाली कार्रवाई और कार्रवाई किसके द्वारा की जायेगी तथा क्या सावधानियां बरती जायेंगी, का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया जाना चाहिए।

9.2 दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन कार्यपद्धति

9.3 बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान।

10.0 **दृश्यता परीक्षण लक्ष्य**

प्रत्येक परिचालित जोन में दृश्यता परीक्षण लक्ष्य की स्थिति तथा स्टेशन पर एक निर्धारित स्थल से वी.टी.ओ. की जांच करने के लिए अधिकृत कर्मचारियों का उल्लेख यहाँ किया जाना चाहिए।

11.0 **स्टेशन पर आवश्यक उपकरण**

आवश्यक उपकरण की सूची परिशिष्ट – 'ड.' में दी जानी चाहिए

12.0 **कोहरा होने पर बुलाए जाने वाली नामित फागसिगनल मैन**

कोहरा या तूफानी मौसम में या धूल भरी आंधियां चलने पर जब स्टेशन मास्टर कार्यालय से वी.टी.ओ. दिखाई न दे तो स्टेशन मास्टर मास्टर प्रशिक्षित व्यक्तियों को फाग सिगनल मैन के रूप में कार्रवाई करने के लिए भेजेगा। यातायात और इंजीनियरी विभाग से उनके चयन फाग सिगनल रजिस्टर में उनके नामों की प्रविष्टि तथा स्टेशन मास्टर से आश्वासन ग्रहण करने सम्बन्धी अनुदेशों का स्पष्ट किया जाना चाहिए।

“परिशिष्ट सूची”

परिशिष्ट 'क'	समपार फाटकों की कार्यप्रणाली
परिशिष्ट 'ख'	सिगनल और अंतर्पाशन की प्रणाली तथा स्टेशन पर संचार व्यवस्था।
परिशिष्ट 'ग'	टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच) (ए.सी.डी.)
परिशिष्ट 'घ'	गाड़ी पासिंग कर्मचारियों की ड्यूटी और प्रत्येक पारी में कर्मचारी।
परिशिष्ट 'ड.'	स्टेशन पर उपलब्ध कराये गये आवश्यक उपकरणों की सूची।
परिशिष्ट 'च'	डी.के. स्टेशन, हाल्ट, आई.बी.एच.,आई.बी.एस. और बाहरी साइडिंगो के संचालन नियम।
परिशिष्ट 'छ'	विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिए नियम। (मंडल परिचालन प्रबन्धक और मंडल विद्युत इंजीनियर द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित।)

3. पैरा 4015 'गाड़ियों का संचालन करते समय गाड़ों के अतिरिक्त कर्तव्य' के भाग 'ग'—सामान्य में मद सं0 (iv) के बाद निम्नलिखित को जोड़ें—

(v) – मार्ग के छोटे स्टेशनों(रोड साइड स्टेशन) पर जहाँ शंटिंग के लिये विशेष कर्मचारी नियुक्त न हों, शंटिंग के लिये गार्ड के कर्तव्य और दायित्व निम्नलिखित होंगे :-

- (क) सामान्य पर्यवेक्षण।
- (ख) सही वाहनों/वैगनों को जोड़ना तथा काटना।
- (ग) सही मार्शलिंग।
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि वाहनों/वैगनों की कपलिंग ठीक तरह से लगा दी गई है।
- (ड) कांटों की सही सेटिंग एवं आवश्यकतानुसार लाकिंग सुनिश्चित कर शंटिंग के दौरान सिगनल देना।
- (च) शंटिंग के दौरान वाहनों को काटने के पूर्व यह सुनिश्चित करना कि उनकी सेक्योरिंग कर दी गई हो।

1. पैरा 4011 को निम्न से प्रतिस्थापित करें :-

उपस्कर -

(अ) गार्ड और लोको पायलट के पास निम्नलिखित निर्धारित उपकरण होने चाहिए :-

(1) मेल/एक्सप्रेस और यात्री गाड़ी के गार्डों के उपकरण :

(i) ट्राई कलर टार्च

(ii) हाथ सिगनल झण्डी (हरी-1, लाल-2)

(iii) एल.ई.डी. आधारित टेल लैम्प

(iv) टेल बोर्ड

(v) प्राथमिक उपचार पेटिका

(vi) 10 पटाखे युक्त एक डिब्बा

(vii) पैडलॉक (50 एम.एम.-1, 35 एम.एम.-1)

(viii) संदर्भ पुस्तकें:-

(क) कार्यकारी समय सारणी

(ख) गार्ड प्रमाण-पत्र पुस्तिका

(ग) रफ जरनल पुस्तिका

(घ) सामान्य एवं सहायक नियमावली, परिचालन नियमावली, दुर्घटना नियमावली (हार्ड अथवा इलेक्ट्रानिक रूप में)

(ix) सीटी

(x) 10 लाल रंग के आर्म बैण्ड दुर्घटना के समय रेल कर्मचारियों के सुगम पहचान हेतु।

(xi) वाकी-टॉकी सेट

(xii) वाशर - 3 (केवल एम.जी./एन.जी. गाड़ियों के लिये)

(2) मालगाड़ी के गार्ड के पास यही उपकरण रहेंगे सिवाय इसके कि वे प्राथमिक उपचार पेटिका एवं गार्ड प्रमाण-पत्र पुस्तिका का वहन नहीं करेंगे। वैक्यूम गेज/प्रेसर गेज और एडाप्टर निजी उपकरणों में शामिल रहेंगे।

(3) लोको पायलट के व्यक्तिगत उपकरण :-

(i) ट्राई कलर टार्च

(ii) हाथ सिगनल झण्डी (हरी-1, लाल-2)

(iii) 10 पटाखे युक्त एक डिब्बा

(iv) वाशर - 5 (केवल एम.जी./एन.जी. गाड़ियों के लिये)

परिचालन नियमावली शुद्धि पर्वी सं० 2 दिनांक 09.04.2021
(01 मद में)


अन्तिम शुद्धि पर्वी सं० 1 दिनांक 29.09.2015

(v) संदर्भ पुस्तकें:-

(क) कार्यकारी समय सारणी

(ख) सामान्य एवं सहायक नियमावली, परिचालन नियमावली, दुर्घटना नियमावली (हार्ड अथवा इलेक्ट्रानिक रूप में)

- (ब) गार्ड और लोको पायलटों के हेडक्वार्टर स्टेशनों के स्टेशन मास्टर/लाबी प्रभारी जहाँ हों, स्वयं गार्ड एवं लोको पायलट के समस्त उपस्करों को तीन माह में एक बार जाँच करेंगे। यदि वस्तुओं या नियम पुस्तकों में शुद्धि पत्र लगाने में कोई कमी पाई जाए तो इसकी रिपोर्ट वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा०)/मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा०) अथवा वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक इंजीनियर (ओ. एण्ड एफ)/ मण्डल यांत्रिक इंजीनियर (ओ. एण्ड एफ) को अवश्य की जाये जो सम्बन्धित गार्ड/लोको पायलट के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और अनुपलब्ध अथवा जीर्ण-शीर्ण दशा में पायी गयी वस्तुएँ पुनः जारी करेंगे।
- (स) निरीक्षक एवं अधिकारी जब भी लाइन पर हों तो जितनी बार सम्भव हो सके रनिंग कर्मचारियों के उपस्करों की जाँच अवश्य करें और यदि कोई कमी पाया जाये तो वे स्वयं उसे शीघ्र दूर करने की कार्यवाही करें।



(अनिल कुमार सिंह)
प्र.मु.परि.प्र./पूउरे

पूर्वोत्तर रेलवे
परिचालन नियमावली (2007 संस्करण)
शुद्धि पर्ची सं0 3 दिनांक 13.07.2021
(01 मद में)
अन्तिम शुद्धि पर्ची सं0 2 दिनांक 09.04.2021

1. पैरा 4011 के शीर्षक 1 (अ) को निम्न से प्रतिस्थापित करें :-

(अ) गार्ड और लोको पायलट के पास (स्वयं के पास अथवा ब्रेकवान/लोको में) निम्नलिखित निर्धारित उपकरण होने चाहिए :-

ह/प्रमुपरिप्र

(अनिल कुमार सिंह)
प्र.मु.परि.प्र./पूउरे